वृद्धा की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जलाकर अवशेष नदी में बहाये थे

72 वर्षीय महिला कमला देवी तापड़िया हत्याकांड में दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस नले पालड़ी पुलिया के पास अवशेषों की तलाश के लिए सर्च अभियान तेज किया।

पुलिस ने महिला को जलाने के मामले में अवशेष बरामद किये।

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के भीमगंज थाना क्षेत्र से पिछले दिनों लापता हुई 72 वर्षीय महिला कमला देवी तापड़िया हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा किया है। महिला की हत्या के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जलाने और उसके अवशेषों को नदी में बहाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पालड़ी पुलिया के पास अवशेषों की तलाश के लिए सर्च अभियान तेज कर दिया है।

- **पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मृत महिला और आरोपियों के बीच संपत्ति व लेन-देन को लेकर पुराना विवाद था, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूचनाओं के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की**

पुलिस के अनुसार, 72 वर्षीय कमला देवी तापड़िया 12 अक्टूबर को अपने घर से लापता हुई थीं। इसके बाद 15 अक्टूबर को उनकी बहू द्वारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूचनाओं के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू की। डीएसपी सज्जन सिंह ने बताया कि रवि तापड़िया नाम के एक व्यक्ति को संदिग्ध मानते हुए जब मनोवैज्ञानिक ढंग से पूछताछ की गई, तो यह सामने आया कि उसने हीरा सिंधी और कुछ अन्य व्यक्तियों ने मिलकर महिला की पहले हत्या की। हत्या के पश्चात शव को अपने ही घर पर जलाया गया और जलाने के बाद उसकी अस्थियां नदी में बहा दी गई। इस मामले में रवि तापड़िया और हीरा सिंधी को अरेस्ट कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई व सर्च जारी है।

शुरुआती जांच में यह मामला लेनदेन और संपत्ति संबंधी विवाद का प्रतीत हो रहा है। पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई है कि मृत महिला और आरोपियों के बीच संपत्ति व लेन-देन को लेकर पुराना विवाद था। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने षड्यंत्र पूर्वक महिला की हत्या की, शव को घर पर जलाया और अस्थियों को पालड़ी पुलिया के पास नदी में प्रवाहित कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रवि तापड़िया और हीरा सिंधी को गिरफ्तार कर लिया है तथा अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें सात दिन के रिमांड पर भेजा गया है।

कोटा में डोडा-चूरा सहित पंजाब का तस्कर गिरफ्तार

कोटा, (निसं)। रेलवे कॉलोनी थाना इलाके के माल गोदाम गेट नम्बर 2 के अन्दर रेल्वे लाईन के पास रेलवे कॉलोनी पुलिस टीम ने गश्त के दौरान 8 किलो 100 ग्राम अफीम डोडा-चूरा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया है।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वीनी गौतम ने बताया कि रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा ने मय जाप्ता इलाके में गश्त एवं आकस्मिक चौकिंग के दौरान इलाके में स्थित माल गोदाम गेट नम्बर 2 के अन्दर रेल्वे लाईन के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को ट्रॉली बैग लेकर जाते हुए देखा, जो पुलिस टीम को देखकर रास्ता बदलकर जाने लगा। जिस पर संदेह होने पर पुलिस टीम ने उसको मौके पर रोककर डिटेन कर उसके पास मौजूद ट्रॉली बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रॉली बैग मे से प्लास्टिक के कट्टे एवं थैली में छिल्के व दरदरा पदार्थ मिला, जिसे प्रथम दृष्टया अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडा- चूरा पाया गया। पुलिस टीम ने 8 किलो 100 ग्राम अफीम डोडा-चूरा बरामद किया। वहीं पंजाब के जिला मुक्तसर के गांव भिट्टी वाला निवासी सुखवीर सिंह (24) को गिरफ्तार किया, मामले में अनुसंधान भीमगंजमंडी थानाधिकारी रामविलास मीणा द्वारा किया जा रहा है।

- **आरोपी ट्रॉली बैग में छिपाकर ले जा रहा था मादक पदार्थ**

शहर एसपी ने बताया कि मामले में अनुसंधान में सामने आया कि पकड़ा गया आरोपी सुखवीर सिंह पंजाब राज्य के जिला मुक्तसर का निवासी है, जो अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के उद्देश्य से चित्तौड़गढ़ से अफीम डोडा चूरा प्राप्त कर उसे ट्रॉली बैग में छिपाकर रेल मार्ग से वाया कोटा होते हुए पंजाब लेकर जा रहा था जो ट्रेन के इन्तजार में आरपीएफ व जीआरपी पुलिस की निगाह से बचने के लिए स्टेशन के बाहर खाली इलाकों में घूम रहा था। आरोपी द्वारा पुलिस की आकस्मिक चैकिंग से बचने के लिए मादक पदार्थ को ट्रॉली बैग में प्लास्टिक के कट्टे एवं थैली में छिपाकर रखा गया था तथा ट्रॉली बेग पर तेज सुगन्ध का स्प्रे लगा रखा था।

अलवर में गौरवनाथ गौशाला में युवक की मौत, चोट के निशान मिले

परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया

अलवर, (निसं)। अलवर के नौगांवा थाना इलाके में स्थित गौरवनाथ गौशाला में काम करने वाले 43 वर्षीय मोहनलाल की मौत के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिलने का आरोप है। परिजनों का कहना है कि मोहनलाल के चेहरे और कमर पर भी चोट के निशान थे। सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें मोहनलाल का शव दिखाया गया। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है।

मृतक के छोटे भाई भागचंद ने बताया कि रात को उनके पास गौशाल से फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया कि मोहनलाल की तबीयत खराब हो गई थी। उसे दवा दिलवाई गई थी, लेकिन बाद में वह अचेत हो गया और उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद परिजन पहले नौगांवा के पड़ावड़ा गांव स्थित गौरवनाथ गौशाला पहुंचे। वहां से उन्हें पता चला कि मोहनलाल को अस्पताल ले जाया गया है। इसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें शव दिखाया गया।

भागचंद ने आरोप लगाया कि उनके भाई के शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। चेहरे पर मारपीट के घाव दिखाई दे रहे थे और कमर पर भी काफी चोटें थीं। उन्होंने आशंका जताई कि गौशाला में किसी ने उनके भाई के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देकर शिकायत दी है।

भागचंद के अनुसार, मोहनलाल मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले के भोली गांव का रहने वाला था। वह पिछले करीब डेढ़ साल से नौगांवा क्षेत्र की गौशाला में काम कर रहा था। उसका एक हाथ काम नहीं करता था। ऐसे में वह गौशाला में काम करके अपना गुजारा करता था। मोहनलाल का 10 साल का एक बेटा है। भागचंद ने बताया कि उनके बड़े भाई की पहले ही मौत हो चुकी है और मोहनलाल दूसरे नंबर का भाई था। अब उसकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।

पूर्व विधायक गुंजल पर आचार संहिता उल्लंघन और धमकाने का मामला दर्ज

कोटा, (निसं)। कोटा-बूंदी संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है कि पंचायती राज चुनाव में प्रचार का शोर थमने के बाद भी उन्होंने आमसभा की और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सहायक के रूप में काम कर रहे सेवानिवृत्त आरपीएस राजीव दत्ता के खिलाफ बयानबाजी की। इसमें दत्ता को धमकी भरे लहजे में संबोधित करने और लोगों को उकसाने का भी आरोप है। इस मामले में शिकायतकर्ता रानपुर थाने के पुलिसकर्मी ही हैं।

यह घटनाक्रम 21 अक्टूबर को पंचायती राज चुनाव से पहले कोलाना गांव में हुआ था। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो के आधार पर ही यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसकी जांच पहले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भरत राज मीणा को और बाद में अनंतपुरा थानाधिकारी महेश कारवाल को सौंप दी गई है। रानपुर थाने के खुफिया विभाग में तैनात कॉन्स्टेबल पुष्पेंद्र चौधरी ने यह मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने बताया कि सूचनाएं जुटाने के दौरान उन्हें एक वीडियो मिला था, जो 21 अक्टूबर की शाम का है। वीडियो में देवनारायण मंदिर कोलाना में एक आमसभा आयोजित की गई थी जहां प्रहलाद गुंजल लोगों को संबोधित करते हुए राजीव दत्ता को धमकियां दें रहे थे।

- **आरोप है कि पंचायती राज चुनाव में प्रचार का शोर थमने के बाद भी प्रहलाद गुंजल ने आमसभा की और सेवानिवृत्त आरपीएस राजीव दत्ता के खिलाफ बयानबाजी की**

इस पूरे घटनाक्रम पर पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल का कहना है कि मेरे ऊपर भले ही रोज एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, तब भी मैं डरने वाला नहीं हूं। वह कोई चुनावी सभा नहीं थी और न ही वहां माईक या लाउडस्पीकर का उपयोग किया गया था। मैंने न तो किसी मंच से भाषण दिया और न ही वहां कोई बड़ी भीड़ थी हम केवल लोगों के साथ एक आंतरिक बैठक कर रहे थे। घर-घर जाकर जनसंपर्क करने पर चुनाव आयोग की कोई रोक नहीं होती है। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि इस मामले में सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप कैसे लग सकता है। हम लोग एक निजी परिसर में बैठकर बात कर रहे थे। वहां कोई लाउडस्पीकर या माईक नहीं लगा था। उस जगह पर कोई सरकारी कर्मचारी भी मौजूद नहीं था। राजीव दत्ता कोई स्थायी सरकारी नौकर नहीं हैं बल्कि वे संविदा पर पेंशन स्कीम के तहत काम कर रहे हैं।

चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर चार कार्मिक निलंबित

कोटा, (निसं)। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत चुनाव ड्यूटी के दौरान मतदान दल रवानगी के समय गैर हाजिर रहने, निर्वाचन संबंधी कार्यों को करने से मना करने एवं ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में चार कार्मिकों को जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया ने निलंबित कर दिया है। चारों कार्मिकों को पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच एवं उप सरपंच के चुनाव के लिए पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्र चेचट में सहायक पीठासीन अधिकारी द्वितीय नियुक्त किया गया था।

जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी निलम्बन आदेशों में बताया गया है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बजारी का टांडा में शारीरिक शिक्षक के पद पर पदस्थापित वीरेन्द्र गोचर के मंगलवार, 27 अक्टूबर को द्वितीय चरण के चुनाव के लिए मतदान दलों की रवानगी के समय ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतते हुए बिना अनुमति गैर हाजिर रहने के कारण मतदान दल की रवानगी व्यवस्था प्रभावित हुई। इसी प्रकार इटावा ब्लॉक में पदस्थापित स्कूल व्याख्याता मुकेश कुमार मीना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़गांव में पदस्थापित वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक गणेश शंकर नावर तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय गोदला निराहा में अध्यापक पद पर कार्यरत कपिल शर्मा द्वारा निर्वाचन संबंधी कार्यों को करने से मना करने और ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने एवं निर्देशों की पालना नहीं करने के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है। सभी कार्मिकों को निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी पीयूष समारिया ने पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के तहत चुनाव ड्यूटी में लगाए गए सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं।

अवैध खनन में हाइड्रा क्रेन जब्त

बूंदी, (निसं)। जिले में अवैध खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत डाबी थाना पुलिस ने अवैध खनन में प्रयुक्त हाइड्रा क्रेन जब्त की है। खनन विभाग की टीम ने संबंधित वाहन के विरुद्ध 4 लाख 71 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा के निर्देश पर डाबी थानाधिकारी हेमराज शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई कर अवैध खनन में प्रयुक्त हाइड्रा क्रेन को डिटेन कर खनन विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। इसके बाद वाहन को जब्त कर संबंधित के विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई करवाई गई। पुलिस टीम में थानाधिकारी हेमराज शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक हरीश कुमार, कांस्टेबल विजयपाल एवं श्रवणराम शामिल रहे।

घर में घुसकर सास-बहू से छेड़छाड़ कर मारपीट की

सीकर, (निसं)। सीकर में घर में घुसकर सास-बहू से छेड़छाड़ कर मारपीट करने और एक 28 साल की युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस इन दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच कर रही है।

पहली घटना में घर में घुसकर 26 साल की महिला और उसकी सास से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिला की सास ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला की सास के द्वारा पुलिस में शिकायत देकर बताया गया कि 26 अक्टूबर की सुबह करीब 4 बजे गांव के ही दो युवक उनके घर में घुसे। जिन्होंने उनके और उनकी 26 साल की पुत्रवधू के साथ छेड़छाड़ करते हुए मारपीट की।

वहीं सीकर 28 साल की युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। युवती घर से मार्केट जाने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने एक युवक पर शक जताया है। मामले में युवती के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार, उनकी बहन 24 अक्टूबर की सुबह करीब 10 बजे सामान लाने के लिए मार्केट गई थी। इसके बाद कई घंटे बीत गए लेकिन वह वापस नहीं लौटी। परिवार ने आस-पड़ोस और रिश्तेदारी में मालूम किया लेकिन युवती का कहीं पता नहीं चला।

रात्रि में नई स्कॉर्पियो को आग लगाई, सीसीटीवी फुटेज में दिखा बदमाश

जोधपुर, (कासं)। शहर के भगत की कोठी स्थित रामदेव चौक में 25-26 अक्टूबर की रात को एक नई स्कार्पियो एन को किसी बदमाश ने आग के हवाले कर दिया। उसके पीछे खड़ी एक अन्य कार भी जलकर नष्ट हो गई। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से पता लगा कि बदमाश बगैर नंबर की एक कार में आया था। उसने पहले स्कार्पियो में तोड़फोड़ की फिर एक घंटे बाद लौटकर आग लगा दी। पुलिस इसमें किसी रंजिश से भी इंकार नहीं कर रही है। हालांकि आरोपी की पहचान के प्रयास जारी हैं। फिलहाल बदमाश का सुराग हाथ नहीं लगा है। संदेह है कि गाड़ी पर ज्वलनशील पदार्थ डाला गया है।

भगत की कोठी रामदेव चौक के रहने वाले तेजाराम पुत्र भैराराम जाट ने यह रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि 25 अक्टूबर को उसने अपनी नई स्कार्पियो कार को घर के बाहर खड़ा किया था। रात दो बजे के आसपास नई स्कार्पियो एन को किसी शख्स ने आग के हवाले कर दिया। गली में लगे कैमरों की फुटेज देखने पर एक बिना नंबर की स्विफ्ट कार में आए व्यक्ति की संदिग्ध गतिविधियां सामने आई। पीड़ित का आरोप है कि उस व्यक्ति ने उसकी कार के शीशे तोड़े और फिर बाद में पीछे वाली कार के भी शीशे डंडे मार कर तोड़ा गया। करीब एक घंटे बाद वापस आकर स्कॉर्पियो पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। उसकी कार के पीछे खड़ी एक अन्य कार भी जल गई। जांच सहायक उप निरीक्षक दिनेश द्वारा की जा रही है।

रिपोर्ट में बताया कि घटना का पता लगने पर आधी रात को वह घर से बाहर आया था। आस पड़ौस के लोग भी बाहर आ गए। बाद में फायर ब्रिगेड और पुलिस भी वहां पहुंची। गली में लगी सीसीटीवी फुटेज से पता लगा कि कोई शख्स कार से डंडा लेकर उतरा और फिर इस वारदात को अंजाम दिया।

पिता के निधन के बाद पुत्रों ने कराया नेत्रदान

अलवर, (निसं)। शहर की मानसरोवर कॉलोनी निवासी किशन चंद मक्कड़ के आकस्मिक निधन के बाद उनके दोनों पुत्रों ने पिता की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए नेत्रदान कराया। नारायण सेवा संस्थान के अलवर शाखा अध्यक्ष आरएस वर्मा ने बताया कि किशन चंद मक्कड़ के निधन के बाद पंजाबी वेलफेयर सोसायटी की ओर से डॉ. श्रॉफ धर्मार्थ चिकित्सालय को नेत्रदान के लिए सूचना दी गई। इसके बाद डॉ. श्रॉफ धर्मार्थ चिकित्सालय के आई डोनेशन सेंटर की चिकित्सकीय टीम उनके निवास पर पहुंची और परिजनों की सहमति से नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की।

भरतपुर में महुआ की नट बस्ती में आग लगी, महिला सहित दो लोग झुलसे

आग की लपटें देखकर गांव में हाहाकार मच गया

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर जयपुर-नेशनल हाईवे 21 के पास सेवर थाना क्षेत्र के गांव महुआ की नट बस्ती में बिजली के तारों से आगजनी हो गई और तीन घर जल गए, जबकि कई घर बच गए। आग की चपेट में आने से एक महिला सहित दो जने झुलस गए। आग की लपटें देखकर गांव में हा-हाकार मच गया। ग्रामीणों की मदद से दमकलकर्मियों ने करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया। सूचना पर आए प्रशासन और पुलिस ने नुकसान का जायजा लिया। साथ ही पीड़ित घरों की रिपोर्ट तैयार की।

भाजपा के जिला प्रवक्ता रज्जन महुआ ने बताया कि आगजनी में घरों में रखा घरेलू सामान, बिस्तर, दो बाइक, अनाज, कपड़े जलकर राख हो गये। घटना के बाद प्रभावित पीड़ित परिवारों के सामने रहने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने का संकट खड़ा हो गया है। इस घटना से दो लोग झुलस गए। जिनका उपचार जारी है। इस आगजनी में प्रमोद कुमार पुत्र विशम्भर, कोतवाल पुत्र भीम और बेवा हेमा पत्नी स्वर्गीय सुन्दर सिंह के घर जल गए। साथ ही अन्य घर भी प्रभावित हुए। स्थानीय प्रशासन सहित पुलिस,हल्का पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग से प्रभावित मकानों का निरीक्षण किया।

- **आगजनी में घरों में रखा घरेलू सामान, बिस्तर, दो बाइक, अनाज, कपड़े जलकर राख हो गये**

उन्होंने बताया कि आगजनी की समृद्ध भारत अभियान के निदेशक सीताराम गुप्ता को जानकारी दी। निदेशक गुप्ता ने संस्था के प्रोजेक्ट हेड पुनीत गुप्ता को प्रभावित परिवारों की मदद करने के निर्देश दिए। निर्देश मिलने के बाद संस्था के कर्मचारी गांव महुआ पहुंचे और आगजनी से प्रभावित परिवारों की स्थिति का जायजा लिया। जिन्होंने सर्वे कर प्रभावित परिवारों को सहायता उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

स्मैक और गांजे के साथ तीन आरोपियों को पकड़ा

अलवर, (निसं)। अलवर पंचायत आम चुनाव-2026 के मद्देनजर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन विजय प्रहार के तहत वैशाली नगर थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 126 ग्राम गांजा और 5 ग्राम स्मैक सहित कुल 131 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए हैं। वैशाली नगर थाना प्रभारी महेश तिवाड़ी के नेतृत्व में थाना पुलिस, क्यूआरटी और डीएसटी की संयुक्त टीमों ने थाना क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, गांजा बरामदगी के मामले में सन्नी उर्फ संदीप उर्फ भुल्लड (30) निवासी नई बस्ती, मुल्तान नगर, थाना वैशाली नगर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 126 ग्राम गांजा बरामद हुआ। वहीं, स्मैक बरामदगी के मामले में गौरव सैनी (27) निवासी मन्नाका रोड, बेवड़ी वाला कुआं, पटेल नगर, थाना एनईबी और जाहिद (30) निवासी बेलाका, थाना वैशाली नगर को गिरफ्तार किया गया।

नीमकाथाना में मिलावट की आशंका पर 265 किलो मिल्क केक नष्ट कराया

187 किलो स्किम्ड मिल्क पाउडर और 90 किलो रिफाइण्ड सोयाबिन तेल सीज किया

सीकर, (निसं)। दीपावली के त्यौहार पर खाद्य वस्तुओं में मिलावट करने वालों पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। चिकित्सा विभाग की ओर से नियमित खाद्य वस्तुओं की प्रतिष्ठानों, दुकानों का निरीक्षण कर सैम्पल लिए जा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त अविचल चतुर्वेदी के निर्देश में प्रदेशभर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत नियमित कार्रवाई की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के जनजागरण से आमजन भी मिलावट करने वालों की सूचना देने में आगे आ रहे हैं।

जिला कलेक्टर आशीष मोदी के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग एवं कोतवाली पुलिस थाना नीमकाथाना की टीम ने मिलावट की आशंका पर सोमवार देर रात को नीमकाथाना के नयाबास रोड़, राजपूत कॉलोनी नीमकाथाना में ओम स्वीट्स का निरीक्षण किया। खाद्य सामग्री में मिलावट की सूचना पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नंदराम मीणा, सुरेश कुमार शर्मा, शुभम कुमार वर्मा तथा पुलिस उप निरीक्षक विरेंद्र सिंह, सरदारमल ने टीम साथ पहुंचकर ओम स्वीट्स में रखी खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया। इस दौरान फैक्टी में खाद्य सामग्री असुरक्षित रखी हुई। गंदगी पसरी हुई थी। साफ सफाई का अभाव पाया गया। काम करने वालों के स्वास्थ्य प्रमाण नहीं बने हुए थे। यहां पर 265 किलोग्राम मिल्क केक को मिलावट की आशंका पर नष्ट करवाया गया। वहीं 187 किलो स्कीम्ड मिल्क पाउडर तथा 90 किलोग्राम रिफाइण्ड सोयाबिन तेल सीज किया। साथ ही कमियां पाए जाने पर फर्म संचालक को सुधार करने के लिए फूड सैफ्टी एक्ट के तहत इम्प्रूमेंट नोटिस दिया गया।

- **कमियां पाए जाने पर फर्म संचालक को सुधार करने के लिए फूड सैफ्टी एक्ट के तहत इम्प्रूमेंट नोटिस दिया**

इधर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, महमूद अली, कमलेश कुमार मीणा, साधना जांगिड़, सुनिता वर्मा, विकेश कुमार मीणा ने सीकर शहर में सोमवार को विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। उन्होंने काजू, बादाम, किशमिश, काजू कतली आदि खाद्य पदार्थों के 11 सैम्पल लिए। सभी सैम्पलों को जांच के लिए खाद्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर भेजा गया है।

गांजा बेचते आरोपी गिरफ्तार

भरतपुर, (निसं)। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत भरतपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नदबई कस्बे में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 151 ग्राम गांजा और बिक्री से प्राप्त 2120 रुपय जब्त किए हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थानाधिकारी अरुण कुमार के नेतृत्व में 26 अक्टूबर को उपनिरीक्षक लालमन की टीम और एनटीएफ टीम ने नगर रोड स्थित सरकारी भांग के ठेके पर कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, मौके पर गांजे की अवैध बिक्री करने और गांजा अपने कब्जे में रखने के आरोप में रामअवतार (40) पुत्र बाबूलाल, निवासी अंबेडकर पार्क, जाटव बस्ती, नदबई को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 151 ग्राम गांजा और बिक्री से प्राप्त 2120 रुपये बरामद किए गए।

संगरिया में मेडिकल स्टोर से 5,245 कैप्सूल-टैबलेट जब्त

क्रय-विक्रय अभिलेख और आपूर्तिकर्ता का विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाने सहित अनियमितताएं मिली

हनुमानगढ़, (निसं)। औषधियों के नशे के रूप में दुरुपयोग और अनियमित बिक्री की रोकथाम के लिए जिला कलेक्टर डॉ. खुशाल यादव द्वारा चलाए जा रहे मनस्वी अभियान के अंतर्गत औषधि नियंत्रण विभाग ने संगरिया स्थित मोनू मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टोर पर प्रीगाबालिन 300 मिलीग्राम के 3,000 कैप्सूल, ओलान्जापिन 5 मिलीग्राम की 2,745 टैबलेट और टेपेन्टाडोल 100 मिलीग्राम की 300 टैबलेट मिलीं। इनकी कुल संख्या 6,045 थी। निरीक्षण के दौरान उपस्थित पंजीकृत फार्मासिस्ट से उक्त औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख और आपूर्तिकर्ता का विवरण मांगा गया, लेकिन ये प्रस्तुत नहीं किए गए। विभाग के अनुसार, स्टोर के औषधि अधिकारी पंकज जोशी ने सोमवार को नई धान मंडी स्थित अग्रसेन मार्केट के वार्ड संख्या 13 में मोनू मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टोर पर प्रीगाबालिन 300 मिलीग्राम के 3,000 कैप्सूल, ओलान्जापिन 5 मिलीग्राम की 2,745 टैबलेट और टेपेन्टाडोल 100 मिलीग्राम की 300 टैबलेट मिलीं। इनकी कुल संख्या 6,045 थी। निरीक्षण के दौरान उपस्थित पंजीकृत फार्मासिस्ट से उक्त औषधियों के क्रय-विक्रय संबंधी अभिलेख और आपूर्तिकर्ता का विवरण मांगा गया, लेकिन ये प्रस्तुत नहीं किए गए। विभाग के अनुसार, स्टोर के औषधि फॉर्मुलेशन्स की अनुमति नहीं होने का उल्लेख मिला। इसके अलावा औषधियों की बिक्री से संबंधित रजिस्टर में भी अनियमितताएं दर्ज की गईं।

गुणवत्ता जांच के लिए नमूने लिए गए। इसके बाद 5,245 इकाइयों को सीलबंद कर जब्त किया गया। विभाग के अनुसार, औषधियों के क्रय स्त्रोत और आपूर्ति शृंखला की जांच की जाएगी। नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट तथा जांच के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आमजन से अपील की है कि चिकित्सकीय पर्चे पर मिलने वाली औषधियों का सेवन केवल पंजीकृत चिकित्सक की सलाह से करें।